UPVR010058862026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), कोर्ट संख्या–02, वाराणसी।

उपस्थितः– रचना सिंह (एच 0 जे0 एस 0)

(जे0 ओ 0 कोड–यू0 पी0–1644)

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1975 सन् 2026

ममता गुप्ता पत्नी अनिल कुमार गुप्ता निवासिनी हुकुलगंज, थाना लालपुर/पाण्डेयपुर, जनपद वाराणसी।

.....आवेदिका/अभियुक्ता।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....अभियोजन पक्ष।

मु०अ०सं०– 273/2026
धारा–305, 317(2) बी.एन.एस.
थाना–कैण्ट, जिला–वाराणसी।

दिनांक–24.06.2026

1. प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थिनी/अभियुक्ता **ममता गुप्ता** पत्नी अनिल कुमार गुप्ता निवासिनी हुकुलगंज, थाना लालपुर/पाण्डेयपुर, जनपद वाराणसी की ओर से अपराध संख्या 273/2026, अन्तर्गत धारा 305, 317(2) बी.एन.एस., थाना कैण्ट, जनपद–वाराणसी में जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि प्रार्थी के यहां माह मई 2026 को घरेलू कार्य करने हेतु ममता गुप्ता पत्नी अनिल कुमार गुप्ता निवासी हुकूलगंज थाना लालपुर पांडेयपुर जनपद वाराणसी द्वारा काम किया जाता रहा, काम के एवज में मेरे द्वारा इन्हें 2000 तय हुआ। मेरे घर में रखा गैस सिलेंडर एक को इनके द्वारा चोरी कर लिया गया, मेरे घर में लगा सी.सी.टी.वी. कैमरा में ले जाते हुए रिकर्ड है एवं इसी महिला द्वारा मेरे जान–पहचान के संतोष कुमार मौर्या पुत्र स्व० मक्करबाया मौर्या निवासी S24/1–A महावीर मंदिर चौराहा थान्ना कैंट वाराणसी के घर से भी 2 गैस सिलेंडर भी चोरी कर लिया गया है और चोरी करने के उपरांत यह महिला घर पर काम करने हेतु नहीं आ रही है, अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्यवाही करने की कृप्पा करें।

3. जमानत प्रार्थनापत्र में अभियोजन कथानक को सारतः अंकित करते हुए प्रार्थिनी/अभियुक्ता

Digitally signed by Rachana Singh
Date: 2026.06.24 13:55:07 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

द्वारा कथन किया गया है कि प्रार्थिनी/अभियुक्ता की ओर से माननीय न्यायालय में यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, कोई अन्य जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य सक्षम या उच्च अधिकारिता के न्यायालय में न तो लंबित है न ही अस्वीकृत है। प्रार्थिनी/अभियुक्ता की ओर से अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान् सी० जे०एम० महोदय जनपद वाराणसी के यहाँ एक जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जो सरसरी तौर पर दिनांक 09. 06.2026 ई० को निरस्त कर दिया गया है। मुकदमा उपरोक्त में प्रार्थिनी/अभियुक्ता निर्दोष है, महज परेशान करने की गरज से प्रार्थिनी/अभियुक्ता को वादी मुकदमा व पुलिस द्वारा साजिशन झूठा फॅसाया गया है। वर्तमान एफ०आई०आर० झूठे एवं मनगढ़ंत तथ्यों के आधार पर दर्ज किया गया है, जिसका प्रार्थिनी/अभियुक्ता से कोई वास्ता, सरोकार नहीं है। प्रार्थिनी/अभियुक्ता कानून में आस्था रखने वाली शांतिप्रिय महिला है, जिसका न तो मुकदमा उपरोक्त से और न ही किसी अन्य अपराध से कोई लेना–देना है तथा न ही उसका कोई आपराधिक प्रतिशोधी है। मुकदमा उपरोक्त थाना कैण्ट जनपद वाराणसी में दिनांक 05/06/2026 को समय 23:27 बजे रात्रि में पंजीकृत होना कहा जा रहा है। प्रार्थिनी/अभियुक्ता वादी मुकदमा के घर पीछले तीन महीने से घरेलू कार्य कर रही थी। वादी मुकदमा द्वारा पहले महीने प्रार्थिनी/अभियुक्ता को काम के पैसे रूपया 2000/– दिया गया। फिर दूसरे महीने वादी मुकदमा द्वारा पैसे देने में हीला–हवाली करने लगे, जब भी प्रार्थिनी/अभियुक्ता द्वारा पैसे के लिए बोला जाता रहा, वादी मुकदमा व उसके परिवार वाले गाली–गलौज करते हर समय ये कहते चुप–चाप काम करो नही तो किसी झूठे मुकदमा में फँसा कर जेल भेज देंगे हमारी पहुँच बहुत ऊपर तक है। प्रार्थिनी/अभियुक्ता हर समय भय और डर के कारण उनके घर मे काम करती चली आ रही थी। दिनांक 05.06.2026 प्रार्थिनी/अभियुक्ता के घर का गैस सिलेडर खत्म होने के कारण वादी मुकदमा से पैसे मांगा गया तो वादी मुकदमा ने बोला कि मेरे घर में रखा गैस सिलेडर लेकर जाओ। तब प्रार्थिनी/अभियुक्ता द्वारा वादी मुकदमा के कहने पर उनके घर से सिंलेडर लेकर जाने लगी लेकिन प्रार्थिनी/अभियुक्ता को ये पता नही था कि वादी मुकदमा द्वारा फंसाने के लिए उसको गैस सिंलेडर ले जाने के लिए बोल रहे है। दिनांक 05.06.2026 को वादी मुकदमा द्वारा बनायी गयी झूठी, मनगढ़ंत व कपोलकल्पित घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। प्रार्थिनी/अभियुक्ता का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थिनी/अभियुक्ता के द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। उपरोक्त अभिवचन करते हुए याचना की गयी है कि उक्त परिस्थितियों में प्रार्थिनी/अभियुक्ता को जमानत पर रिहा किया जाये।

4. जमानत प्रार्थनापत्र शपथ पत्र से समर्थित है। प्रार्थनापत्र के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट की फोटो प्रति को संलग्न की गयी है।

5. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए कथन किया गया कि अभियुक्ता द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है, ऐसे में जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाये। संबंधित थाने द्वारा मामले से संबंधित आख्या प्रस्तुत की गयी है, जो पत्रावलित है।

6. जमानत प्रार्थनापत्र पर प्रार्थिनी/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला

शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) के तर्कों को सुना गया तथा अभिलेख का सम्यक परिशीलन किया।

7. प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थिनी/अभियुक्ता प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्ता हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्ता पर वादी मुकदमा के घर से गैस सिलेण्डर चोरी करने का आरोप है। मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है एवं अधिकतम सात वर्ष तक की सजा से दण्डनीय है। मामले में अभी आरोप–पत्र प्रेषित नहीं किया गया है। अतः मामले के उपरोक्त समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्ता को जमानत पर अवमुक्त किये जाने के आधार पर्याप्त हैं, तदनुसार उनका जमानत आवेदन स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थिनी/अभियुक्ता **ममता गुप्ता** का जमानत प्रार्थनापत्र, मु.अ.सं. 273/2026, अन्तर्गत धारा 305, 317(2) बी.एन.एस., थाना कैण्ट, जनपद–वाराणसी के प्रकरण में स्वीकार किया जाता है। प्रार्थिनी/अभियुक्ता द्वारा रू0 50,000/–(पचास हजार रूपये मात्र) का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि के दो प्रतिभू संबंधित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर तथा निम्न शर्तो की अण्डरटेकिंग दाखिल करने पर उन्हें जमानत पर रिहा किया जाये–

1. प्रार्थिनी/अभियुक्ता विवेचना/विचारण में सहयोग करेगी।
2. प्रार्थिनी/अभियुक्ता साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगी तथा साक्षीगण को न तो डरायेगी और न धमकायेगी।
3. प्रार्थिनी/अभियुक्ता द्वारा यदि स्वयं के निवास स्थान में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है, तो प्रार्थिनी/अभियुक्ता इसकी सूचना संबंधित थाने व न्यायालय को प्रदान करेगी।

(श्रीमती रचना सिंह)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट),
न्यायालय संख्या–02, वाराणसी
जे0 ओ 0 कोड–यू0 पी0 1644

रितिक कुमार (आशुलिपिक)